HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 903/2026
URN: CFA / 1462U / 2026

Jodhpur Discom and Anr.

----Appellants

Versus

Master Ramprasad and Others

----Respondents

For Appellant(s) : Mr. Sagar Jindal
For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

17/07/2026

यह सिविल प्रथम अपील अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा दीवानी वाद संख्या 48/2022 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 25.02.2026 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध तथा प्रत्यर्थी वादीगण के पक्ष में 02,50,000 रुपये की डिक्री पारित की गई है।

अपील की ग्राह्यता पर सुना गया।

प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह सिविल प्रथम अपील सुनवाई हेतु विचारणार्थ ग्रहण की जाती है। आदेशिका शुल्क एवं नोटिस मय अतिरिक्त प्रति पेश होने पर प्रत्यर्थी पक्ष को अपील के नोटिस जारी किए जावें।

स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 2793/2026 पर सुना गया।

प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना में संपूर्ण डिक्रीशुदा राशि मय ब्याज छह सप्ताह की अवधि में जमा करवाये जाने की शर्त पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की क्रियान्विति स्थगित की जाती है।

इस आदेश की पालना में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा आदेशित राशि जमा कराने पर जमाशुदा राशि की पचास प्रतिशत (50%) राशि प्रत्यर्थीगण/वादीगण को इन तथ्यों का वचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करने पर अदा कर दी जाए कि यदि अपीलार्थीगण इस अपील में सफल होते हैं, तो उस स्थिति में प्रत्यर्थीगण द्वारा इस आदेश के अधीन प्राप्त की गई राशि पुनः अपीलार्थीगण को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ अपील के निर्णय के एक माह की अवधि में लौटाने के लिये बाध्य व तैयार रहेंगे।

शेष पचास प्रतिशत (50%) राशि, प्रथमतः एक वर्ष के लिये किसी राष्ट्रीकृत बैंक में एफडीआर के रूप में जमा कराई जाएगी तत्पश्चात अपील के निस्तारण तक नियमानुसार उसका समय–समय पर नवीनीकरण कराया जाए। इस न्यायालय के आदेश के बिना उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि राशि वितरण की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभिलेख इस न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित करें।

तदनुसार स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

Kishan Soni/9